न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 15/2020
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00146

अपीलाण्ट :–
चमनी पत्नी श्री दरगाराम पुत्री स्व. श्री मानीया (मानाराम), जाति मेणा, निवासी मेणों का बास, जोजावर, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. मोटीया (मोटाराम) पुत्र मूला जी तथाकथित गोदी पुत्र मानीया (मानाराम) जाति मेणा, निवासी कुरना, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार वैष्णव
रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 29.07.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम कुरना, पटवार हल्का कुरना के नामान्तरकरण संख्या 1827 दिनांक 16.06.1993 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में कथन किया कि मौजा कुरना पटवार हल्का कुरना, तहसील पाली, जिला पाली में खसरा संख्या 1417 रकबा 9.16 बीघा किस्म बारानी सायम की कृषि भूमि स्थित है। जैर आराजी अपीलाण्ट के पिता श्री माना जी कौम मेणा की खातेदारी की व कब्जा काश्त की थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलाण्ट के पिताजी स्व. श्री मानीया (मानाराम) पुत्र श्री रतना का कब्जा व उपयोग–उपभोग था। अपीलाण्ट के पिता मानीया (मानाराम) का देहान्त हो चुका है। उपरोक्त वर्णित खसरान् में अपीलाण्ट के पिता के फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम भरा गया। अपीलाण्ट के पिता स्व. मानीया के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था न ही है। मात्र एक पुत्री अपीलाण्ट चमनी है जो अपीलाण्ट के पिता की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिश होते हुए भी जैर नामान्तकरण अपीलाण्ट के नाम से नहीं भरा गया, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 1827 संख्या दिनांक 16.06.1993 जिसमें अपीलाण्ट के पुत्री होने बाबत् उसे विरासत के नामान्तरकरण से वंचित कर दिये जाने तथा रेस्पो. संख्या 01 मोटिया को मानीया का गोदीपुत्र मानकर जो जैर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है उसे अपास्त करने का निवेदन किया है।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के अनुसार हिन्दु व्यस्क के मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र, पुत्री व उसकी विधवा पत्नी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते है अर्थात् मोटिया गोदीपुत्र है अथवा नहीं यह प्रमाणित नहीं है एवं जो प्रथम–श्रेणी के उत्तराधिकारी है उसे विरासत के नामान्तरकरण से वंचित किया जाना स्पष्ट होता है।

अतएव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम–दृष्ट्या ही विधि–विरूद्ध होने से जैर नामान्तरकरण संख्या 1827 संख्या दिनांक 16.06.1993 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में मृतक मानीया के विधिक वारिसान् की उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **01.10.2024** को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली